न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बलवन्त सिंह लिग्री , आर०ए०एस०

अपील संख्या 30/2016

1– हणमान पुत्र सुजाराम जाति गुर्जर, निवासी जवानपुरा , तहसील नावां , जिला नागौर, राजस्थान।
2– दीपाराम पुत्र सुजाराम जाति गुर्जर निवासी जवानपुरा, तहसील नांवा जिला नागौर

.....अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नांवा, जिला नागौर (राज0)
2–करणाराम पुत्रसुजाराम
3–कालूराम पुत्र सुजाराम
4–छोटुराम पुत्र सुजाराम
5–जीवणराम पुत्र सुजाराम
सभी जाति गुर्जर निवासीगण जवानपुरा तहसील नांवा जिला नागौर ।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री तेजपाल राठी,रमेश कुमार,ओम गुर्जर अधिवक्तागण, अपीलान्ट
2–श्री इस्लामुदीन अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध अदालत तहसीलदार नांवा द्वारा मु0सं नम्बर 75/15 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2016.

निर्णय

दिनांक– 26.03.18

अपीलार्थी की ओर से अपील का संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का श्यामगढ ने अप्रार्थीगण (अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 से 5) के विरूद्ध रिपोर्ट पेश की कि, अप्रार्थीण ने मौजा ग्राम जवानपुरा के खसरा नम्बर 507 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म गैरमुमकीन रास्ता में से 0.02 हैक्टर भूमि पर पक्का डंडा, छप्परपानी का व

डोल गाकर अतिक्रमण कर लिया है। जो कि सरकारी भूमि है। जिसमें से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जावें तथा शास्ति आरोपित की जावें।

तत्पश्चात सभी अप्रार्थीगण के नाम से एक नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 31.12.2015 की आदेशिका में अंकित किया कि जीवणराम से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। गैर सायलान अनुपस्थित। उसके पश्चात दिनांक 25.1.2016 को उक्त प्रकरण में आदेश पारित करते हुये उल्लेख किया कि, अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये है अतः अप्रार्थीगण को राजकीय भूमि से बेदखली की कार्यवाही अमल में लायी जावें।

उक्त आदेश की अपीलांटस व अन्य रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 को कोई जानकारी नहीं थी तथा न ही अपीलांटस व अन्य रेस्पाडेन्ट पर किसी प्रकार का कोई सम्मन तामिल हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 की विधिनुसार तामिल करवाये बिना ही आदेश पारित कर दिया, जबकि अपीलांटस खाने कमाने के लिये राजस्थान से बाहर गये हुये थे, जिन्हें कोई नोटिस कभी प्राप्त नहीं हुआ , अपीलांटस अभी गांव आये हुये थे तब दिनांक 14.6.2016 पटवारी हल्का व आर.आई. अपीलांटस के गांव जवानपुरा आय तथा उक्त अवैध आदेश के आधार पर बेदखल करने की धमकी दी, तब अपीलांटस ने बताया कि जहां पर रास्ता बताया जा रहा है वहां पर वर्षो से पक्के रहवासीय मकान बने हुये है तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये ही उनके पक्के रहवासीय मकानों को नहीं हटाया जा सकता। तब अपीलांटस व अन्य रेपोडेंट ने पटवारी हल्का व आर.आई से हाथाजोड़ी की उनके पक्के रहवासीय मकान है आवश्यक कोई भूल हुई है। इसलिए इनको नही तोड़े हमें भी आदेश देखने दे तब इसके बाद अपीलान्ट दूसरे दिन नांवा आये तथा उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की, तब अपीलान्ट को उक्त आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई तथा जानकारी के दिवस से उक्त अपील अन्दर मयाद पेश है। इस प्रकार अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है जिन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश जैर अपील पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट उक्त अपील पेश कर रहा है। जिसके आधार निम्न है :–

1. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार

2. यह है कि मौजा जवानपुरा के वर्तमान खसरा नम्बर 507 रकबा 0.11 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता के साबिका खसरा नम्बर 93 गैर मुमकीन आबादी दर्ज है जो सम्वत् 2008 से 2045 की खतौनी व गत बंदोबस्त के नक्शे से स्पष्ट है। जिसकी फोटो प्रति पेश है। जिसमें कही पर कोई रास्ता का उल्लेख नही है। किन्तु वर्तमान बंदोबस्त में बंदोबस्त अधिकारीयों ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर गैर मुमकीन आबादी में से खसरा नम्बर 507 गैर मुमकीन रास्ता कायम कर दिया। जबकि बंदोबस्त अधिकारीयों को ऐसा कोई अंकन करने का विधिअनुसार कोई हक व अधिकार नही था। इस प्रकार बंदोबस्त अधिकारीयों ने बिना अधिकार के ही किस्म परिवर्तन कर आबादी भूमि को रास्ता दर्ज कर दिया। जबकि जिस जायंगा पर रास्ता बताया जा रहा है उस जायंगा पर कभी भी रास्ता नही था और न ही आज दिन कोई रास्ता मौजूद है। उक्त जायंगा पर गलत रूप से रास्ते का उल्लेख किया है। उस जांयगा पर 20 वर्ष से भी ज्यादा पुराने पक्के रहवासिय मकान बने हुये है तथा वहां पर वर्षो से उक्त मकानों में विद्युत कनेक्शन लिये हुये है। जहां पर अपीलांटस व रेस्पोडेटस अपने परिवार सहित निवास कर रहे है। इसके अलावा अपीलान्ट व रेस्पोडेंट के अन्य कोई रहवासीय मकान भी नही है। इस प्रकार से अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में वास्तविक तथ्यों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया है जो अवेध होने से अपास्त होने योग्य हैं।

3. यह हे कि जिस स्थान पर वर्तमान बंदोबस्त अधिकारीयों ने रास्ता का उल्लेख किया है वहां पर वर्षों से पक्के रहवासीय मकान बने हुये है तथा उक्त गलत रूप से दर्शाई गई रास्ता की जायंगा भी आबादी क्षैत्र में आई हुई है। जिसके संबंध में तहसीलदार, नांवा को कार्यवाही करने का कोई हक व अधिकार नहीं है क्योंकि आबादी भूमि के संबंध में सभी अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त हैं तथा ग्राम पंचायत स्वयं स्वतंत्र निकाय है। जिसे अपने अधिकार क्षैत्र में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण वगैराह की कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है तथा उसके संबंध में ग्राम पंचायत अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही कर सकती है तथा उसके पश्चात भी अतिक्रमण हटाने में ग्राम पंचायत असफल रहती है तब ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर ही तहसीलदार आगामी कार्यवाही कर सकता है।इसके अलावा उसके अधिकार क्षैत्र में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का कोई हक व अधिकार तहसीलदार का नहीं है। किन्तु उक्त प्रकरण में आबादी क्षैत्र की भूमि के संबंध में बिना कानूनी अधिकार के

गलत रूप से धारा 91 राज भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर बेदखली का आदेश जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटी की है जो अपास्त हाने योग्य है।

4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही सभी पक्षकारों को एक ही नोटिस जारी कर दिया, जबकि सभी पक्षकार अलग अलग रहते है जिनके राशन कार्ड अलग अलग जारी हो रखें है तथा अलग अलग ही मकान बने हुये है उनकी फोटो प्रति पेश है। इस प्रकार से विधिनुसार सभी पक्षकरों को अलग अलग नोटिस जारी होता तथा सभी पक्षकारों की व्यक्तिगत रूप से तामिल होती तथा उक्त प्रकरण में उनकी तामिल मानी जाती, इस प्रकार अपीलांटस व रेस्पोडेट संख्या 2 से 5 के विरूद्ध कानुनी प्रावधानों के विपरीत जाकर सभी पक्षकारों की व्यक्तिगत तामिल करवाये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया । जो अवैध होने से अपास्त होने योग्य है।

5. यह है कि अपीलांटस की कोई व्यक्तिगत तामिल नहीं हुई है तथा न ही उनके नाम से कोई व्यक्तिगत तामिल जारी की गई। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने विधिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुये केवल मात्र एक ही नोटिस जारी कर दिया जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता व रेवन्यू रूल्स के अनुसार सभी पक्षकारों के नाम से व्यक्तिगत तामिल करवाई जानी चाहिए थी। किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 01 ने विधिनुसार व्यक्तिगत रूप से तामिल करवाये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अवैध होने से अपास्त होने योग्य है।

6. यह है कि गैर मुमकीन रास्ता का उल्लेख कर जिस जायंगा पर अतिक्रमण होने का उललेख किया गया है वहा क्षैत्रफल कितना है इसके संबंध में कोई नाप चोप नहीं किया गया और न ही पटवारी हल्का ने जो नजरी नक्शा बनाया है उसमें इसका कोई उल्लेख किया और न ही पक्के रहवासीय मकानों का अंकन किया गया। जबकि मौके पर किसी रास्ते के अलामात नहीं है तथा वहां पर पक्के रहवासीय मकान बने हुये है। रंगीन फोटो साथ पेशहै।

H

7. यह है कि पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक के उक्त प्रकरण में बयान नहीं लिये गये और न ही पटवारी हल्का से अपीलांटस् को जिरह करने का अवसर दिया गया। इसलिए भी आदेश जैर अपील खारिज होने योग्य है।
8. यह कि रेस्पोडेट संख्या 2 से 5 हाजिर नहीं होने से उन्हें प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है।
9. यह कि बाकी उजरात बर वक्त बहस किये जायेगें।
10. यह कि अन्दर मयाद के लिए अलग से आवेदन मय शपथ पत्र पेश किया हुआ है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर न्यायालय तहसीलदार नावां जिला नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 75/2015 अनुवान सरकार बनाम करणाराम वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2016 खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

वकील अपीलान्ट की यह अपील दिनांक 20.6.2016 को पेश की, जो दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड हेतु तलबी जारी की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री इस्लामुदी ने वकालतनामा पेश किया जो शामील मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही दिनांक 14.6.17 को की गयी। अधिनस्थ न्यायालय का दिनांक 14.6.17 को रिकोर्ड प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया ।

उभय पक्ष विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का श्यामगढ ने रिपोर्ट पेश की कि अप्रार्थीगण ने मौजा ग्राम जवानपुरा के खसरा नम्बर 507 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म गैरमुमकीन रास्ता में से .02 हैक्टर भूमि पर पक्का डंडा , छप्परपानी का व डोल लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण के खिलाफ भू राजस्व अधिनियम 1956की धारा 91 का प्रकरण संख्या 75/15 दर्ज कर निर्णय दिनांक 25.01.2016 द्वारा अप्रार्थीगण को ग्राम जवानपुरा के ख0नं0 507 रकबा 0.02 हैक्टर भूमि पर पक्का डडा छप्परपानी का व डोल लगाकर गै0मु0 रास्ता की भूमि पर सम्वत 2072 में अतिक्रमण करने के कारण अतिकमि घोषित किया जाकर अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश दिया गया तथा 6/– रूपये का अर्थदण्ड से आरोपित किया गया।

अप्रार्थीगण को नोटिस जारी दिनांक 22.12.15 श्री जीवणराम गुर्जर से तामील होना बताया जबकी हनुमान से तामिल होना नहीं है, तथा न ही अपीलान्ट के शामलाती रहने की रिपोर्ट है। अतः अपीलार्थी हणमानराम की तामील समुचित नहीं हैं। तथा अपीलान्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिया जाना पत्रावली से जाहिर नहीं होता है।

:::: आ दे श ::::

अधिनस्थ न्यायालय ने अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 75/15 सरकार बनाम करणाराम वगै0 में अप्रार्थी को समुचित तामील नही व सुनवाई का अवसर दिये जाने के अभाव में अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.1.16 निरस्त किया जाता हैं तथा पत्रावली इस निर्देश क़ साथ पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर प्रस्तुत जवाब व साक्ष्य का समुचित विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 26.3.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)